

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 149

प्रकरण क्रमांक - SM-PRO-2023-02014

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध यूनि होम्स, पता-म्युनिसपल पानी टंकी के पास, मेन रोड,
भाठागांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/01/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 06.12.2023 को आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण को निम्नानुसार आदेशित किया गया :-</p> <p>(1) अधिनियम की धारा-59 अंतर्गत रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करने सुनिश्चित करे। अन्यथा अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>अनावेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 का पालन किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 50,000/- को चालान के माध्यम से दिनांक 29.12.2023 को जमा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	